20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

रतन चन्द्र पुत्र श्री गुलाब चन्द्र जैन
निवासी – कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1– सोमचन्द्र जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द्र जैन
2– डालचन्द्र जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द्र जैन
3– मुस0 केशर बाई बेवा गुलाब चन्द्र जैन
4– मूलचन्द्र जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द्र जैन
निवासीगण – कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

........... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यो एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त :–**

1– यहकि, ग्राम कटहरा तहसील लवकुशनगर में स्थित भूमि आराजी नं. 1504/1, 1504/2, 1507/1, 449, 494 किता 5 कुल रकवा 3.014 है0 आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 के पिता तथा अनावेदक क्रमांक 3 के पति गुलाब चन्द्र फुलचारी जैन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहीं है।

2– यहकि, गुलाब चन्द्र जैन की मुत्यु के बाद नामान्तरण पंजी क्रमांक 16 पर पारित आदेश दिनांक 25.10.1983 से आवेदक का विधिवत् नामान्तरण किया गया। एवं उपरोक्त नामान्तरण में अनावेदकगण द्वारा सहमति दी गयी। ऐसी स्थिति में नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश सहमति का आदेश होकर अपील योग्य आदेश नहीं है। किन्तु इसके बावजूद भी अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक अवधि बाहय अपील अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 35 अपील/2010–11 प्रस्तुत की गयी थीं। जो लगभग 26 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत हुयी थीं किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपील को अवधि में मान्य

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

**प्रकरण क्रमांक** – दो/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/1867

रतन चन्द्र विरूद्ध सोमचन्द्र आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित।<br>3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 35/2010-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 12-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही | |

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य